न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **35/2015 प्रा.पत्र रसद**

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी उदयपुर (राज.)

........................**प्रार्थी**

बनाम

श्री रतनलाल सुहालका पुत्र श्री शंकरलाल निवासी ग्राम बेदला, उदयपुर हॉकर शिवशक्ति गैस सर्विस, आई ओ सी, उदयपुर (राज.)

......................**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिगृहित एलपीजी (पीडीएस) 14.2 किग्रा. क्षमता के दो घरेलु गैस सिलेण्डर्स आई ओ सी मय 6.4 किलो एलपीजी के राजसात करने बाबत्

उपस्थितः- श्री प्रद्युमनसिंह राणावत, पैरोकार सरकार
श्री अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

दिनांक-06.10.17

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, शहर, उदयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र 6ए का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.10.15 को टेलीफोन पर सुचना प्राप्त हुई कि टाउनहॉल स्थित शिवशक्ति गैस ऐजेन्सी आईओसी के वितरण पोईन्ट पर हॉकर द्वारा अनियमितता की जाती हैं। शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर पहुँचकर जॉच की गई। जॉच में रतनलाल सुहालका शिव शक्ति गैस ऐजेन्सी के हॉकर के रूप में गैस रिफलींग का कार्य करते हुए मौके पर पाया गया। मौके पर रतनलाल सुहालका के पास में परिचय पत्र नहीं था। श्री सुहालका के पास में फर्म के गेट पास संख्या 7586 अनुसार रिफिल हेतु दिनांक 14.10.15 को 30 घरेलु गैस सिलेण्डर 14.2 किलो जारी करना बता रखा था किन्तु मौके पर 29 घरेलु गैस सिलेण्डर ही पाये गये। कम पाये गये 1 घरेलु गैस सिलेण्डर के बारे में मौके पर हॉकर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर 2 एलपीजी गैस

सिलेण्डर तौलने पर एलपीजी गैस कम पायी गई। जिन्हे मौके पर ही सीज किया गया। इस प्रकार रतनलाल सुहालका द्वारा घरेलु रसोई गैस सिलेण्डर 14.2 किलो का दुरूपयोग किया जाकर (दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के क्लॉज 3(4) व 13(सी) का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण दोनो गैस सिलेण्डरो को मय गैस 6.4 किलो को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस सर्व किया गया। विपक्षी श्री रतनलाल द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा सिलेण्डर से मुझ विपक्षी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं हैं तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा कोई भी कालाबाजारी नहीं की गई है नाही किसी आदेश नियम का उल्लंघन किया हैं। नाही कोई अपराध करने की मंशा थी। विपक्षी संख्या 1 को गलत पक्षकार बनाया गया हैं। अतः मेरे विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी श्री रतनलाल सुहालका द्वारा जब्तशुदा सिलेण्डरो से कोई संबंध नहीं होना बताया हैं। जबकि मौके पर जब्त सिलेण्डर श्री रतनलाल से जब्त किये गये हैं। पर्चे मौके पर एवं जब्ती कार्यवाही पर श्री रतनलाल सुहालका के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। ऐसी स्थिति में श्री रतनलाल सुहालका अपनी जिम्मेदारीयों से बचना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा सिलेण्डरो मय गैस को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार निस्तारण करा प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय हाजा को प्रेषित करें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर